आज यह पत्रावली पेश हुई। कोई भी
पक्ष नहीं आपत्तिकर्ता व वादी वकील
को बार-बार आवाज लगाई गई किन्तु
कोई भी उपस्थित नहीं है। पढ़ा जाता
है प्रतिवादिगण की तरफ से जवाब-पत्र
है। जिसके बारे में उन्हें वाद-पत्र
को आगे चलाने के लिए उजर नहीं
होता है। जिला [illegible] की वाद
09-05 [illegible] मिसल [illegible] है।
पत्रावली [illegible] हाकिम [illegible]
से कम है। वाद प्रार्थी द्वारा दाखिल
है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)